GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

[redacted]

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS Bari Bassi (Ambala) [51]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)

दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Bari Bassi (Ambala) [51]	Special Repair of Building	1695400.00
		कुल राशि	**1695400.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।

5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला।

3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला

4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

[redacted]

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Kharak Kalan (Bhiwani) [363]
Principal GSSS Aun (Bhiwani) [477]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Kharak Kalan (Bhiwani) [363]	Repair of Roof of Rooms	1855000.00
2	GSSS Aun (Bhiwani) [477]	Building Repair	1020000.00
		कुल राशि	**2875000.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें
6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी।

3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी

4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/लोहारू/सिवानी/बाढ़ड़ा/बवानी खेड़ा/तोशाम///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Tohana (Fatehabad) [3289]
Head Master GHS Bhodia Khera (Fatehabad) [3354]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GGSSS Tohana (Fatehabad) [3289]	Construction of B/Wall	1406000.00
2	GHS Bhodia Khera (Fatehabad) [3354]	Cont. of B/Wall and Main Gate	827000.00
		कुल राशि	**2233000.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
2 अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद।
3 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
4 उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां///
5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS Baspadamka (Gurgaon) [856]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)

दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Baspadamka (Gurgaon) [856]	Raising and new const. of B/Wall	1127000.00
		कुल राशि	**1127000.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।

5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त गुड़गांव।

3 जिला खजाना अधिकारी गुड़गांव

4 उप खजाना अधिकारी, पटोदी/सोहना/फारूख नगर///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

12/01/15

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Sega (Kaithal) [2230]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)

दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GHS Sega (Kaithal) [2230]	Repair/Const. of Wall	1223000.00
		कुल राशि	**1223000.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।

5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम

दिनांक, पंचकुला 12/01/2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
2 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल।
3 जिला खजाना अधिकारी कैथल
4 उप खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पुन्डरी/ढ़ाण्ड/राजौन्द///
5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS Kutail (Karnal) [1880]
Head Master GHS Sounkra (Karnal) [1914]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Kutail (Karnal) [1880]	Const. of B/Wall	1932000.00
2	GHS Sounkra (Karnal) [1914]	Repair of Rooms	1668600.00
		कुल राशि	**3600600.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें
6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

12/01/15

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल।

3 जिला खजाना अधिकारी करनाल

4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

[redacted]

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Kalsana (Kurukshetra) [2403]
Principal GGSSS Baraut (Kurukshetra) [2311]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Kalsana (Kurukshetra) [2403]	Repair of School	1245500.00
2	GGSSS Baraut (Kurukshetra) [2311]	Const. of Cycle Stand	550000.00
		कुल राशि	**1795500.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें
6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरूक्षेत्र को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त कुरूक्षेत्र।

3 जिला खजाना अधिकारी कुरूक्षेत्र

4 उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Narwana (Jind) [1519]
Principal GSSS Lodhar (Jind) [1749]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GGSSS Narwana (Jind) [1519]	Const. of B/Wall	1288500.00
2	GSSS Lodhar (Jind) [1749]	Cont. of Rooms	1991000.00
		कुल राशि	**3279500.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें
6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम दिनांक, पंचकुला 12/01/2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
2 अतिरिक्त उपायुक्त जीद।
3 जिला खजाना अधिकारी जीद
4 उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफ़ीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा///
5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Nanakpur (Panchkula) [3702]
Principal GSSS Ramgarh (Panchkula) [3707]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Nanakpur (Panchkula) [3702]	Const. of B/Wall	525000.00
2	GSSS Ramgarh (Panchkula) [3707]	Repair/ Const. of B/Wall	141600.00
		कुल राशि	**666600.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें
6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला।

3 जिला खजाना अधिकारी पंचकूला

4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

[redacted]

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Jatusana (Rewari) [2526]
Principal GSSS Dehlawas Gulab Pura (Rewari) [2473]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Jatusana (Rewari) [2526]	Repair and B/Wall	2000000.00
2	GSSS Dehlawas Gulab Pura (Rewari) [2473]	Const. of B/Wall	1366449.00
		कुल राशि	**3366449.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी।
3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल///
5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Garhi Bala (Sonipat) [3616]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)

दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Garhi Bala (Sonipat) [3616]	Completion of Room Work	321500.00
		कुल राशि	**321500.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।

5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत।
3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा///
5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Head Master GHS Sakta Khera (Sirsa) [2886]
Principal GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]

यादी कमांक 2/22–2014 निर्माण (1)
दिनाक पंचकुला 12/01/2015

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2014–2015 (प्लान)।**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/22–2014–निमार्ण (1) दिनाक 11.06.2014 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 700.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GHS Sakta Khera (Sirsa) [2886]	Const. of B/Wall	1322000.00
2	GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844]	Repair of Room	1634351.00
		कुल राशि	**2956351.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी तथा जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है: –

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि–III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4 विधालयो के भवनो के निमार्ण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबधित मुखिया/कमेटी के हस्ताक्षर सहित) प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजने होगे।
5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें
6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विधालय को राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

यह खर्च मद शीर्ष 2202– General Education -02 Secondary Education - 053 Maintance of Building (98) Construction/Extention of Building of Higher/Senior Secondary Schools-17) Minor works (Plan 2014-15) के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक सम **दिनांक, पंचकुला 12/01/2015**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा।

3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा

4 उप खजाना अधिकारी, रानिया/डबवाली/ऐलनाबाद/कलांवली///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतेः महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।